रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 अगस्त, 1981/10 श्रावण, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अप्रैल, 1981

सं० एफ० डी० एस० ए० (3) 15/80.—चूंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह विचार है कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट व्यापारिक वस्तुओं और चीजों की उचित मूल्यों पर आपूर्ति को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिये तथा समुचित वितरण और प्राप्यता को सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई (खाद्यान्न विभाग) मंत्रालय द्वारा जी० एस० आर० सं० 800, दिनांक 9 जून, 1978 के अधीन प्रकाशित आदेशों के साथ पठित

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाती हुई अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहर्ष निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1981

भाग I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.--(1) इस आदेश को हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1981 कहा जा सकता है।

(2) इस का प्रसार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएं.--जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में,--

(क) "व्यवहारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का कोई संगम या सहकारी समिति अभिप्रेत है जो किसी व्यापारिक वस्तु के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये भण्डार के कारबार में लगा हो चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो या न हो तथा इस में उस का प्रतिनिधि या अभिकर्ता सम्मिलित है। परन्तु इस में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :—

(1) ऐसा व्यक्ति जो किसी भूधृति के अधीन या किसी भी हैसियत से कृषि भूमि धारण करता है अथवा उस पर काबिज़ है और जिस पर उस द्वारा खाद्यान्नों, तिलहनों या दालों की फसल उगाई जाती है या उगाई गई है ;

(2) चीनी, गुड़ या खाण्डसारी का कोई विनिर्माता ;

(3) दालों और खाद्य तेलों का कोई उत्पादक ;

(ख) "निदेशक" से अभिप्रेत निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(ग) "खाद्य तेल" से अनुसूची–1 के भाग –"ध" में विनिर्दिष्ट खाद्य तेलों में से कोई एक या अधिक खाद्य तेल अभिप्रेत है ;

(घ) "खाद्यान्न" से अनुसूची-1 एक के भाग –"क" में यथा विनिर्दिष्ट खाद्यन्नों में से कोई एक या अधिक खाद्यान्न अभिप्रेत है और इस में ऐसे खाद्यान्नों के भूसे और चोकर को छोड़ कर अन्य सभी उत्पादक सम्मिलित हैं ;

(ङ) "प्रारूप" से इस आदेश में संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है ;

(च) गुड़ से अभिप्रेत है, गुड़, गुल, जग्गेरी, शक्कर राब नाम से ज्ञात वस्तुयें और अन्य मध्यवर्ती उत्पाद जो गन्ने के रस को, सीरा के मिश्रण के साथ या उस के मिश्रण के बिना उबालने से तैयार किया जाता है जिसे निम्नलिखित रसायनिक विशेषताओं से पहचाना जाता है, अर्थात्:—

(1) पूर्ण शर्करा (अपचायी शर्करा के साथ इक्षु शर्करा) जिस में 78.0 से 95.0 प्रतिशत तक घुले हुये पिण्ड हों; और

(2) घुले हुये पिण्डों में 1.5 से 5.0 के बीच प्रतिशत वाली भस्म सल्फेटेड और इस में पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी का भी पानी में घुला हुआ घोल सम्मिलित हैं ;

(छ) "खाण्डसारी" से खुली कढ़ाई प्रक्रिया द्वारा उत्पादित चीनी अभिपेत है ;

(ज) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिला के जिला खाद्यान्न तथा आपूर्ति नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी से है जो निदेशक द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त हो;

(झ) "तिलहन" से अनुसूची-1 के भाग-"ग" में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक तिलहन अभिप्रेत है ;

(ञ) "उत्पादक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो--

(i) दालों या तिलहनों का, उन्हें अपने द्वारा प्रसंस्कारित किये जाने के लिए क्रय करके तथा तैयार उत्पादों का किसी थोक विक्रेता को या किसी कमीशन अभिकर्ता की मार्फत विक्रय कर के या

(ii) किसी दूसरे के निमित दलन, निष्कासन, निष्कर्षण या विनिर्माण या परिष्करण की कोई भी प्रक्रिया करके किसी भी दाल के दलन, या किसी भी खाद्य तेल के निष्कासन, निष्कर्षण या विनिर्माण या परिष्करण का व्यापार चलाता है;

(ट) "दाल" से अनुसूची-1 के भाग "ख" में यथा विनिर्दिष्ट एक या अधिक दाल अभिप्रेत है जो चाहे साबुत हो, या टुकड़ों में हो, या छिलके सहित हो या छिलका रहित हो तथा इस में उस के भूसा और चोकर से भिन्न उत्पाद भी सम्मिलित है;

(ठ) "अनूसुची" से इस आदेश से संलग्न कोई अनूसूची अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) "चीनी" से किसी भी स्वरूप की चीनी जिस में 90 प्रतिशत से अधिक इक्षु शर्करा हो अभिप्रेत है;

(ण) "व्यापारिक वस्तु" से अनूसूची-1 में वर्णित कोई वस्तु अभिप्रेत है।

भाग-II

व्यवहारियों का अनुज्ञापन

3. व्यवहारियों का अनुज्ञापन.--(1) इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात् कोई भी व्यवहारी अनुसूची-1 में वर्णित किसी भी व्यापारिक वस्तु के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये भण्डारण का कारबार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के उपबन्धों के अधीन, इस निमित जारी की गई, किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन तथा उन के अनुसार के सिवाय नहीं करेगा:

परन्तु यह कि ऐसे व्यवहारी के लिये कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी जो किसी एक समय में व्यापारिक वस्तुओं को ऐसी मात्रा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किसी व्यापारिक वस्तु के लिये विहित की जाए की सीमाओं से अनधिक में क्रय के लिये संग्रहित करता है या बेचता है :

परन्तु यह और अनूसूची-III में वर्णित विभिन्न अनुज्ञापन आदेशों के अधीन व्यापारिक वस्तुओं की कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यवहारी उन्हीं व्यापारिक वस्तुओं के लिए इस आदेश के प्रारम्भ से 30 दिन के भीतर इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा । उक्त दिन तक या बढ़ाए गए ऐसे और अधिक समय के अन्दर जो अनुज्ञापन अधिकारी निदेशक की स्वीकृति से विनिर्दिष्ट करे, परन्तु ऐसी अवधि किसी भी स्थिति में 60 दिनों से अधिक नहीं होगी, उस की विद्यमान अनुज्ञप्ति, उसे किसी व्यवहारी के रूप में इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति समझी जायेगी।

(2) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति, जो किसी भी एक समय किसी व्यापारिक वस्तु का उपखण्ड (1) में विहित सीमाओं से अधिक मात्रा में भण्डारण करता है, जब तक कि उस के द्वारा तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, किसी व्यवहारी के रूप में कारबार करने वाला तथा विक्रय के प्रयोजनार्थ उन का भण्डारण करने वाल समझा जायेगा।

4. अनुज्ञाप्ति का जारी किया जाना.—(1) (क) किसी अनुज्ञाप्ति की मंजूरी के लिये प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को विहित फीस के साथ प्ररूप "क" में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति प्रारूप "ग" में तथा उस में वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्याधीन होगी।

(ग) अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि प्रारूप "ग" में रखेगा।

(घ) अनुज्ञप्ति कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक के लिये विधिमान्य होगी।

(ङ) यदि इस आदेश के अधीन मन्जूर की गई कोई अनुज्ञप्ति विरूपित, गुम या नष्ट हो जाये तो अनुज्ञाप्ति-धारी तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा जो अनुज्ञप्ति धारी के आवेदन तथा विहित फीस का संदाय किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा।

(2) कोई भी व्यवहारी अनुसूची 1 में वर्णित किसी एक या अधिक व्यापारिक वस्तुओं के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा।

(3) कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक अनुज्ञप्तियां आवश्यक होंगी।

5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण,—(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन खण्ड 6 के अधीन अवधारित फीस सहित, अनुज्ञप्ति के समाप्त होने से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रारूप "ख" में किया जायेगा :

परन्तु यह है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी विलम्ब फीस, का जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई है संदाय किए जाने पर 31 मार्च तक आवेदन-पत्र ग्रहण कर सकेगा:—

(1) प्रथम पखवारे के लिए	5 रुपये
(2) द्वितीय पखवारे के लिये	10 रुपये
(3) बाद के प्रत्येक पखवारे के लिये	20 रुपये:

परन्तु यह और की अनुज्ञप्ति धारी के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीनकरण के लिए अनुज्ञाप्ति (मूल रूप में) भेजना जरूरी नहीं है और अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रारूप "ग" 1 अनुज्ञप्ति का नवीकरण देगा या भेजेगा :

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के समाप्त होने के पश्चात् तीन महीनों के अन्दर (अर्थात् प्रति वर्ष 31 मार्च तक) अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करवाया जाता है तो वह रद्द हो जायेगी और प्रतिभूति भी सरकार के नाम समयहृत हो जायेगी। इस तरह अनुज्ञप्ति के रद्द होने तथा प्रतिभूति के रद्द होने तथा प्रतिभूति के जब्त होन से व्यवहारी द्वारा सामान्य अनुज्ञापन-शुल्क जमा करने के बाद नयी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकार पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है :

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्ति धारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान अपना कारबार बन्द करता है तो प्रति भूति की राशि वापिस लेने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी को सौंपनी होगी।

(2) अनुज्ञप्ति धारी द्वारा सम्बन्धित वर्षों के लिये विहित शुल्क जमा करने पर अनुज्ञप्ति का एक समय में तीन वर्षों की अवधि के लिये नवीकरण किया जा सकता है।

6. प्रभार्य फीस.—(1) अनुज्ञप्ति जारी करने, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने तथा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रभार्य फीस निम्नलिखित होगी:—

(क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये	. . रुपये	15
(ख) अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए	. . रुपये	10
(ग) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	. . रुपये	20

(2) अनुज्ञप्ति-फीस की अदायगी का तरीका.––अनुज्ञप्ति जारी करने, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने तथा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए विहित शुल्क निम्नलिखित में से किसी भी ढंग द्वारा जमा किया जा सकता है:––

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में उचित रसीद ले कर नकद जमा द्वारा,
(ख) धनादेश द्वारा भेज कर,
(ग) किसी भी सरकारी खजाना/उप-खजाना/भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके,
(घ) भारतीय डाक आदेश द्वारा भेज कर,
(ङ) निदेशक द्वारा अधिसूचित किसी अन्य तरीके से।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार जमा की गई फीस का अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित हिसाब रखेगा।

7. प्रतिभूति का निक्षेप.––अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी, उसे ऐसी अनुज्ञप्ति जारी किये जाने से पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट धन राशि नकद या अन्य किसी रीति से जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी-विनिर्दिष्ट करे प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे जारी की गई अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये इस बारे जारी किए किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन होगी।

8. अनुज्ञप्ति नामन्जूर करने की शक्ति.––(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा कारणों से जिन का उन के द्वारा लिखित अभिलेख दिया जायेगा अनुज्ञप्ति मन्जूर करने या उस का नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी विशिष्ट व्यापारिक वस्तु के लिये अनुज्ञप्ति के लिये अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकता है, यदि––

(क) आवेदक ने जिस व्यापारिक वस्तु के लिये आवेदन किया है, उस के लिये कारोबार के उसी स्थान पर किसी अन्य व्यवहारी को पहले ही अनुज्ञप्ति जारी कर दी गई हो।

9. अनुज्ञप्ति में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन.––अनुज्ञापन प्राधिकारी गोदाम, कारोबार के स्थान अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर भागीदारों के नामों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति में किये गये इन्दराजों में परिवर्द्धन, विलोप तथा परिवर्तन कर सकता है।

10. अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन.––इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक या उस का अभिकर्त्तन या उस की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं करेगा।

11. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्द करण.––(1) यदि कोई अनुज्ञप्ति धारी या उस का अभिकर्ता या सेवक या उस की ओर से कार्य करने वाला अन्य कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उस के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द या निलम्बित की जा सकती है। तथा ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के समबन्ध में उस की अनुज्ञप्ति में इन्दराज किया जायेगा।

(2) इस खण्ड के अधीन रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामले का कथन करने का समुचित अवसर न दिया गया हो किन्तु अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान या उस के अनुध्यान में अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन करने का कोई अवसर दिये बिना अनुज्ञप्ति 30 दिन की कालावधि तक निलम्बित की जा सकती है।

12. जब अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर दी गई हो तो व्यापारिक वस्तुओं का चयन.—जब इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित कर दी गई हो तो ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के समय व्यवहारी के पास उपलब्ध व्यापारिक वस्तुओं का स्टाक उस के द्वारा ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर न्यचनित कर दिया जायेगा।

13. दोष सिद्ध के परिणाम.—जब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण किसी अनुज्ञप्तिधारी को न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो तो अनुज्ञापन प्रधिकारी लिखित आदेश द्वारा प्रथम अपील, यदि दायर की गई हो, के विनिश्चय के बाद या परिसीमा काल के समाप्त होने के बाद उस की अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा।

14. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण.—(1) खण्ड-II के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति धारी ने अनुज्ञप्ति निबन्धनों तक शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया है तथा प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किया जाना आवश्यक हो गया है तो वह अनुज्ञप्ति को अपने मामले का कथन करने का मुक्ति युक्त असवर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उस के द्वारा निक्षिप्त सम्पूर्ण प्रतिभूति या उस का कोई भाग, समपहृत कर सकता है तथा अनुज्ञप्ति धारी को आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(2) यदि प्रतिभूति की रकम किसी भी समय खण्ड-2 अनूसूचि-II, में विनिर्दिष्ट रकम से कम पड़ती है तो अनुज्ञप्ति धारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर कमी की पूर्ति करने के लिए और प्रतिभूति तत्काल जमा करवायेगा।

(3) अनुज्ञप्ति धारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त वाध्यताओं के सम्यक् अनुपालन पर प्रतिभूति की रकम या उस का ऐसा भाग जो पूर्वोक्त रूप से समपहृत नहीं किया गया है, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्ति को लौटा दिया जायेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अनूसूची-1 में वर्णित किसी व्यापार वस्तु को किसी भी समय निम्नलिखित के अधीन नियत सीमाओं से अनाधिक मात्रा में संग्रहीत कर अथवा कब्जे में नहीं रखा जायेगा:—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किसी आदेश के अधीन, या
(2) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

16. विवरणियों.—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, को ऐसी रीति से या ऐसी कालावधि के लिए जो कि समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विहित की जाये प्रारूप-"ध" में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि कोई नियत कालिक विवरणी सूचना भेजने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

भाग-III

प्रकीर्ण

17. सूचना मांगने की शक्ति—निर्देश जारी करना.—प्रत्येक अनुज्ञप्ति-धारी, जब अनुज्ञापन प्राधिकारी के साधारण या विशेष निर्देशों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, किसी व्यापारिक वस्तु के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टयां या सूचनाय जिन की अपेक्षा की जाये, सत्यतापूर्ण तथा अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी समस्त या किन्हीं भी व्यापारिक वस्तुओं के क्रय, विक्रय, व्यचन, भण्डारण के सम्बन्ध म किसी भी अनुज्ञप्ति धारी को निर्देश जारी कर सकता है।

18. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित किसी आदेश द्वारा अनुसूचियों में किसी व्यापारिक वस्तु को जोड़ सकेगी या उन में से उस का लोप कर सकेगी तथा तदुपरांत वे अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी।

19. इस आदेश में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त निदेशक को अनुज्ञापन प्राधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

20. अपील.—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निदेशक को अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि निदेशक अपील को निपटाने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकता है:—

(क) यदि अपीलित आदेश जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रक ने पारित किया हो तो किसी उप-निदेशक, खाद्य तथा आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश को।

(ख) यदि मूल आदेश उप-निदेशक, खाद्य तथा आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश ने पारित किया हो तो संयुक्त निदेशक खाद्य तथा आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश को।

(2) इस खण्ड के अधीन कोई भी ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) अपील का निपटारा लम्बित रहने तक अपील प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि आदेश जिस के विरुद्ध अपील की गई है, तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता।

21. कथित व्यक्ति से आवेदन किये जाने पर निदेशक इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित अपने आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकता है।

22. पुनरीक्षण.—निदेशक स्वः प्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर इस आदेश के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और यदि उस का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उस में निहित नहीं है; या
(ख) उस में निहित अधिकारिता का तात्विक अनियमतता के साथ प्रयोग किया है; या
(ग) वह उस में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में अनुचित रूप में असफल रहा है,

तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

23. प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण आदि की शक्तियां.—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद के नीचे का न हो, जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत हो, अपनी अधिकारिता के भीतर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या इस बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है, ऐसी सहायता सहित, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे—

(क) किसी ऐसे स्वामी, अधिभोगी या किसी व्यक्ति से, जो किसी ऐसे स्थान, परिसर, यान या जलयान का प्रभारी हो जिस में उस के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि, इस आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे

उल्लंघन से सम्बन्धित सव्यवहार दर्शित करने वाली किन्हीं भी लेखा-पुस्तकों, या दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) ऐसे किसी स्थान या परिसर, यान या जलयान में जिस में उस के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उस का निरीक्षण कर सकेगा या उसे तोड़कर खोल सकेगा और उस की तलाशी ले सकेगा ;

(ग) ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा जो उस की राय में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10 के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसंगत हो और वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा-पुस्तकें या दस्तावेज अभिगृहीत किये जाते हैं, किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में, जिस की अभिरक्षा में ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज हैं, उन की प्रतिलिपियां करने या उन से उद्धरण लेने का हकदार होगा ;

(घ) व्यापारिक वस्तुओं के स्टाक की, साथ ही उन पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों को जिन में ऐसा स्टाक पाया जाये, तलाशी ले सकेगा, उन का अभिग्रहण कर सकेगा तथा उन्हें हटा सकेगा यदि उस के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे स्टाक या उस के किसी भाग के सम्बन्ध में इस आदेश के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और इस आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में उक्त व्यापारिक वस्तुओं के वहन करने हेतु उपयोग में लाये गये पशुओं, यानों जलयानों या अन्य वाहनों की भी तलाशी ले सकेगा, उन का अभिग्रहण कर सकेगा, तथा उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार अभिगृहीत व्यापारिक वस्तुओं के स्टाक का और पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने और इस प्रकार पेश किये जाने तक उन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक समस्त उपाय करेगा या करने के लिये प्राधिकृत करेगा; तथा

(ङ) ऐसे निरीक्षक आदि के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति से सभी आवश्यक प्रश्न पूछेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के तलाशी तथा अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक सम्भव होगा, इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण पर लागू होंगे ।

24. छूट.—(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अध्याधीन जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या फर्म या व्यक्तियों के संगम या किसी सहकारी सोसाइटी को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलम्बित या विखण्डित कर सकेगी।

(2) इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित द्वारा या उन के निमित व्यापारिक वस्तुओं के क्रय-विक्रय या विक्रय के लिये भण्डारण पर लागू नहीं होगी :—

(1) केन्द्र सरकार; या
(2) राज्य सरकार ; या
(3) राज्य सरकार के अधिकारी, विभाग, संस्थायें या अन्य संगठन अथवा ऐसी एजैन्सियां जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें।

25. निरसन तथा अपवाद.—(1) इस आदेश के प्रारम्भ होने की तिथि से अनुसूची-III में वर्णित आदेश निरसित हो जायेंगे तथा इस आदेश के उपबन्ध इस उप-खण्ड द्वारा निरसित आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(2) उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट आदेशों का निरस, इस प्रकार निरसित आदेशों के अधीन की गई या किये जाने से लेपित किसी बात या की गई किसी कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगा तथा हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध ऐसे निरसन पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम के निरसन पर लागू होते हैं।

अनुसूची–I

[देखिए खण्ड–2 (01)]

भाग–"क" (खाद्यान्न)

1. गेहूं
2. जौ
3. बाजरा
4. ज्वार
5. मक्का
6. चावल
7. धान
8. माईनर मिलिट (उदाहरणार्थ रागी, कोदा)
9. माइलो
10. सारगम
11. खाद्यान्नों का मिश्रण (सुज्जी, वेजड़ आदि)।

भाग–"ख" (दालें)

1. उड़द
2. मूंग
3. अरहर
4. मसूर
5. मोठ
6. लोबिया
7. राजमाह
8. चने
9. मटर
10. कोई अन्य दाल।

भाग–"ग" (तिलहन)

1. सरसों
2. तिल
3. मूंगफली

4. तारामीरा
5. अलसी
6. राईडा
7. आयातिल तिलहन ।

भाग–"घ" (खाद्य तेल)

1. सरसों का तेल
2. तिल्ली का तेल
3. मूंगफली का तेल
4. तारामीरा का तेल
5. अलसी का तेल
6. राईडा का तेल
7. हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल
8. आयातिल खाद्य तेल

भाग–"ङ" (अन्य वस्तुयें)

1. चीनी
2. गुड़ एवं खांडसारी

अनुसूची–II

(देखिये खण्ड–7)

	प्रतिभूति की राशि रु0
1. उन अनुज्ञप्तिधारियों के लिये जो कि अनुसूची-I में सम्मिलित सभी व्यापारिक वस्तुओं या अनुसूची–I के एक से अधिक भाग में सम्मिलित व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं ।	1,000
2. उन के लिये जो केवल खाद्यान्नों का व्यापार करते हैं :–	
(क) यदि खाद्यान्नों की वार्षिक बिक्री 2400 क्विंटल से अधिक हो	500
(ख) यदि वार्षिक बिक्री 2400 क्विंटल से कम हो परन्तु 1200 क्विंटल से अधिक हो	300
(ग) यदि वार्षिक बिक्री 300 क्विंटल से तो अधिक हो परन्तु 1200 क्विंटल से कम हो ।	200
(घ) यदि वार्षिक बिक्री 300 क्विंटल से कम हो	100
3. उन के लिये जो अनुसूची–I के भाग ख, ग, तथा घ में उल्लिखित व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं :––	
(क) यदि वार्षिक बिक्री 150 क्विंटल से अधिक न हो	200
(ख) यदि वार्षिक बिक्री 150 क्विंटल से अधिक हो	500
4 उन के लिये जो चीनी/खाण्डसारी तथा गुड़ का व्यापार करते हैं—	
(क) यदि वार्षिक बिक्री 250 क्विंटल से अधिक हो।	500
(ख) यदि वार्षिक बिक्री 250 क्विंटल से अधिक न हो	200

अनुसूची-III

(देखिये खण्ड-25)

1. हिमाचल प्रदेश खाद्यान्न व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1968.
2. हिमाचल प्रदेश गेहूं व्यापारी अनुज्ञापन और मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973.
3. हिमाचल प्रदेश दालें, खाद्य तेल, बीज और खाद्य तेल व्यापारी (भण्डारण और अनुज्ञापन नियंत्रण) आदेश, 1978.
4. हिमाचल प्रदेश चीनी व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1967.
5. हिमाचल प्रदेश खाण्डसारी और गुड़ व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1967.

प्रारूप "क"

[देखिये खण्ड 4 (1) (क)]

अनुज्ञप्ति की मन्जूरी के लिए आवेदन पत्र

सेवा में

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
——————————
——————————

महोदय,

मैं एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुयें (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1981 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन करता हूं। अपेक्षित विशिष्टियां इस के नीचे दी जाती है :—

1. आवेदक की विशिष्टियां——————————
नाम—————————— सुपुत्र श्री ——————————
आयु—————————— जाति ——————————

2. आवेदक के निवास स्थान का पता:-
(क) मकान सं0 —————————— (ख) मोहल्ला ——————————
(ग) गांव/नगर —————————— (घ) तहसील ——————————

3. नाम/अभिनाम जिस से अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :—

4. आवेदक के कारोबार के स्थान की अवास्थिति:

(क) मकान/दुकान सं0 —————————— (ख) मोहल्ला/बाजार——————————
(ग) गांव/नगर —————————— (घ) तहसील——————————

5. फार्म के भागीदारों का नाम, यदि कोई हो:-

(1) श्री—————————— सुपुत्र श्री——————————आयु——————जाति——————
(2) श्री—————————— सुपुत्र श्री——————————आयु——————जाति——————
(3) श्री—————————— सुपुत्र श्री——————————आयु——————जाति——————

6. उन व्यापारिक वस्तुओं की विशिष्टियां जिन का आवेदक कारोबार करना चाहता है :-

1. ————————————
2. ————————————
3. ————————————
4. ————————————

7. क्या आवेदक के पास पहले भी उन व्यापारिक वस्तुओं की अनुज्ञप्ति थी जिन की अनुज्ञप्ति के लिये अब आवेदन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण दीजिये ————————————

(1) व्यापारिक वस्तु का नाम————————————
(2) अनुज्ञप्ति की संख्या————————————
(3) निक्षिप्त प्रतिभूति की रकम, चालान सं0 तथा तिथि ————————————

8. क्या आवेदक ऊपर मद सं0 7 में वर्णित प्रतिभूति को अब अवेदित अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति के प्रति समायोजित करना चाहता है। यदि ऐसा है, तो उस की चालान सं0, तिथि तथा रकम लिखियें ————————

9. आवेदक को उन व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार करते हुये कितना समय हो गया है जिन की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया गया है।

10. आवेदन की तारीख को व्यापारिक वस्तुओं का जो स्टाक कब्जे में था उस से सम्बन्धित विशिष्टियां ————————————

11. उस गोदाम या स्थान का पूरा पता (मकान संख्या, मोहल्ला आदि सहित) जहां उन का व्यापारिक वस्तुओं का, जिन की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया है, भण्डारण किया जायेगा :—

1. ————————————
2. ————————————
3. ————————————

12. क्या आवेदक का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया है————————

13. गत 3 वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण की विशिष्टियां————

14. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या न्याय निर्णित किया गया था————

15. क्या आवेदक पागल या विकृत चित्त है————————————

मैं,————————————घोषणा करता हुं कि ऊपर मद संख्या 1 से 15 में वर्णित विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा उन में कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

मैंने हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1981 के उपबन्धों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं उन का पालन करने के ये सहमत हूं।

स्थान————————————
तारीख————————————

स्वामी/भागीदार के हस्ताक्षर।

प्रारूप "ख"

अनुज्ञप्ति सं0 ——————————————————के नवीकरण के लिये आवेदन

सेवा में

अनुज्ञापन प्राधिकारी

——————————————

——————————————

महोदय,

मैं हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन और नियंत्रण आदेश, 1981 के अधीन मुझे जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या——————————————————के नवीकरण के लिये, एतद्द्वारा आवेदन करता हूं। आपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी जाती हैं :–

(1) वह तारीख जिस को अनुज्ञप्ति का अवसान होता है——————

(2) अनुज्ञप्ति किस नाम से है ——————————

(3) नवीकरण कितने वर्षों के लिए चाहा गया है——————

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किय गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण ——————

मैं——————————इस के द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित विशिष्टियां मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा उन में कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान——————————————

तारीख——————————————

आवेदक के हस्ताक्षर ।

प्रारूप "ग"

[देखिये खण्ड–34(1) (ख)]

हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1981

अनुज्ञप्ति

(1) अनुज्ञप्ति संख्या ——————————————

(2) चालान सं0——————————————तिथि——————————द्वारा निश्चित प्रतिभूति सं0 ——————————————

(3) भागीदारों सहित, यदि कोई हो, व्यापारी का नाम:

(1)——————————————

(2) ——————————————

(3) ——————————————

निबन्धन तथा शर्तें

1. हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश, 1981 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अध्याधीन श्री/सर्वश्री——————————— को नीचे वर्णित व्यापारिक वस्तुओं का क्रय-विक्रय हेतु भण्डारण करने के लिये इस के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :–

1. ———————————
2. ———————————
3. ———————————
4. ———————————

2 (क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त व्यापारिक वस्तुओं का कारोबार निम्नलिखित स्थान पर करेगा :–

(ख) उन व्यापारिक वस्तुओं का जिन का पूर्वोक्त कारोबार किया जाना है भण्डारण नीचे वर्णित गोदामों में से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जायेगा :–

1. ———————————
2. ———————————
3. ———————————
4. ———————————
5. ———————————

टिप्पणी.—यदि अनुज्ञप्ति धारी का आशय व्यापारिक वस्तुओं का भण्डाराण ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थान पर करने का हो तो वह उस में उन व्यापारिक वस्तुओं के वास्तविक भण्डारण से 24 घण्टे की कालावधि के अन्दर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा। वह ऊपर वर्णित सूचना देने से एक पखवाड़े के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति भी पेश करेगा ताकि उस में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी व्यापारिक वस्तुओं के स्टाक के बारे में जो यातायात की कठिनाईयों या अन्य किसी कारण से 24 घण्टे की अधिक अवधि से मार्ग में रुका हुआ है की सूचना इस प्रकार रुकी हुई व्यापारिक वस्तुओं का विवरण उस के कारणों सहित सम्बन्धित क्षेत्र के अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा और उस की प्रति उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को भी देगा जिस ने अनुज्ञप्ति जारी की है।

3 (क) अनुज्ञप्तिधारी पैरा–1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं के लिये प्रारूप "घ" में दैनिक लेखों का एक रजिस्टर रखेगा जिस में निम्नलिखित तथ्य सही बताये जायेंगें :–

(1) प्रत्येक दिन का प्रारम्भिक स्टाक;

(2) प्रतिदिन प्राप्त मात्रा, वह स्थान जहां से और वह श्रोत जिस से प्राप्त हुई तथा वाउचर सं० तथा तिथि का भी हवाला दिया जायेगा ;

(3) प्रतिदिन परिदत्त या अन्यथा हटाई गई मात्रा मन्तव्य स्थान बताते हुये ; तथा

(4) प्रत्येक दिन का अन्तिम स्टाक।

स्पष्टीकरण.–(क) अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के लिये एकाधिक स्टाक रजिस्टर रख सकेगा और प्रत्येक व्यापारिक वस्तु के लिये अलग अलग पृष्ठ आवंटित कर सकेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन के इन्दराज अगले दिन संव्यवहार करने से पहले स्टाक रजिस्टर में मुकम्मल करेगा जब तक कि ऐसा न करने के युक्तियुक्त कारण न हो जिस को प्रमाणित करने का भार उस पर होगा।

(ग) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो स्वयं खाद्यान्नों, तिलहनों या दालों का उत्पादक है, स्वयं के उत्पाद के स्टाक को स्टाक रजिस्टर में अलग से दर्शाएगा, यदि ऐसे स्टाक का भण्डारण उस के कारोबार परिसर में किया जाता है।

4. अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के या आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी.—(1) ऐसा कोई संव्यवहार नहीं करेगा जिस में व्यापारिक वस्तुओं का सट्टे की ऐसी रीति से, जो बाजार में उन का प्रदाय बनाये रखने पर तथा आसानी से उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, क्रय विक्रय या विक्रयार्थ भण्डारण अन्तर्वलित हो ;

सट्टे की किसी ऐसी रीति में क्रय या विक्रय के उचित बाउचर के बिना रखा गया स्टाक शामिल है।

(2) किसी व्यापारिक वस्तु को ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट या नियत कीमत से उच्चतर कीमत पर न तो बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।

(3) विक्रयार्थ रखी गई किसी वस्तु को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट या नियत कीमत पर किसी व्यक्ति को बेचने से इन्कार नहीं करेगा।

(4) व्यापारिक वस्तुओं के खण्ड-15 के अधीन नियत सीमाओं से अधिक स्टाक को अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी हिमाचल प्रदेश वाणिज्य वस्तु मूल्यांकन तथा प्रदर्शन आदेश, 1977 के उपबन्धों के अनुसार उन व्यापारिक वस्तुओं को, जिन का वह व्यापार करता है कीमतें तथा स्टाक की सूची प्रदर्शित करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारिक वस्तु के प्रत्येक ग्राहक को अपना नाम तथा अनुज्ञप्ति संख्या ग्राहक का नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या यदि कोई हो संव्यवहार की तारीख, विक्रीत मात्रा तथा प्रभारित कीमत का उल्लेख करते हुए, यथास्थिति, एक नकद पत्र व बीजक जारी करेगा, वह उस की दूसरी प्रति अपने पास रखेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी :

परन्तु किसी खुदरा विक्रेता के लिये किसी व्यापारिक वस्तु के सम्बन्ध में जिस की कीमत 25 रुपये से अधिक नहीं हो, ऐसा कोई नकद-पत्र या बीजक जारी करना या ऐसी कोई दूसरी प्रति रखना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि ग्राहक द्वारा उस की मांग न की जाए।

8. अनुज्ञप्तिधारी कारोबार से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिस की उस में मांग की जाए, सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाए।

9. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दुकान, गोदाम या अन्य स्थानों पर जिन का उपयोग वह भण्डारण, विक्रय या क्रय के लिए करता है अपने स्टाक तथा लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए तथा पैरा-1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं की परीक्षा हेतु उन के नमूने लेने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधायें देगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निर्देश का पालन करेगा जो उसे इन व्यापारिक वस्तुओं के क्रय, विक्रय तथा विक्रयार्थ भण्डारण के सम्बन्ध में और उस भाषा के सम्बन्ध में जिस में रजिस्टर विवरणियां, रसीदें या बीजक लिखे जायेंगे तथा उपर पैरा-3 में वर्णित रजिस्टर के अधिप्रमाणन तथा उसे रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाये।

11. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार के सम्बन्ध में ऐसे निर्देशों का जो उस दशा में जब कि वह किसी विनियमित बाजार में कृत्य करता हो, अधिकारिता रखने वाले विपणन प्राधिकारी द्वारा उसे दिये जायें तथा किसी अन्य दशा में ऐसे निकाय द्वारा दिये जाये, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की गई हो, पालन करेगा ।

12. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिये समुचित उपाय करेगा कि उस के द्वारा भण्डार में रखी गई व्यापारिक वस्तुयें उचित स्थिति में रखी जाती हैं तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों कृन्तकन, चिडियाओं, आग तथा ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचा जाता है। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उवर्रकों कीटनाशी औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदार्थों का जिन से ऐसी वस्तुओं के सन्दूषित होने की सम्भावना हो, भण्डारण उन्हीं गोदामों में इन वस्तुओं के साथ या व्यापारिक वस्तुओं के स्टाक के ठीक सन्निकट नहीं किया जाता है।

13. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यापारिक वस्तु को उस मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचेगा या बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा जो कि उस वस्तु के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के पालनार्थ नियत की गई हो।

14. यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर, 198 तक विधि मान्य होगी।

स्थान———————

तिथि———————

अनुज्ञापन प्राधिकारी ।

प्रारूप "ग"
(खण्ड-4 देखिये)

1. अनुज्ञप्ति संख्या———————

2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता———————

3. कालावधि जिस तक अनुज्ञप्ति विधिमान्य है/थी———————

4. कालावधि जिस के लिए नवीकृत की गई है———————

स्थान———————

तिथि———————

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मोहर।

टिप्पणी.—अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के साथ इस की प्रति अपने पास रखेगा।

प्रारूप "घ"

(खण्ड 16 देखिए)

————————कालावधि के लिए विवरणी

अनुज्ञप्तिधारी का नाम————————————अनुज्ञप्ति संख्या————————————

1. व्यापारिक वस्तु का नाम . .

2. दिन सप्ताह/पखवाड़े/मास तथा तिमाही के प्रारम्भ में स्टाक . .

3. दिन/सप्ताह/पखवाड़े/मास/तिमाही के दौरान खरीदा गया या अन्यथा प्राप्त स्टाक . .

4. योग . .

5. दिन/सप्ताह/पखवाड़े/मास/तिमाही के दौरान बेचा गया या अन्यथा हटाया गया स्टाक . .

6. दिन/सप्ताह/पखवाड़े/मास/तिमाही के अन्त में स्टाक . .

7. अभियुक्तियां . .

स्थान————————————

हस्ताक्षर————————————

तिथि————————————

प्रेषिती

अनुज्ञापन प्राधिकारी ।

टिप्पणी.—1. वजन लीटरों/किलोग्रामों/क्विंटलों/टनों में प्रविष्ट किया जाना है।

2. बैंक, सहकारी सोसाइटी आदि के पास गिरवी रखे गए माल को भी पूर्वोक्त आंकड़ों में सम्मिलित किया जाना है तथा अभियुक्तियों के स्तम्भ में टिप्पणी दी जानी है।

3. भिन्न (खण्ड) का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। आंकड़े निकटवर्ती लीटरों/किलोग्रामों/क्विंटलों/टनों तक पूर्णांकित किये जायेंगे।

4. हाईड्रोजनीकृत बनस्पति तेलों, खाद्य तेलों या गुड़ आदि के छोटे पैकों को पहले क्विंटल आदि में परिवर्तित किया जाए और तत्पश्चात् इस विवरणी में सम्मिलित किया जाए।

प्रारूप "ङ"

(अनुज्ञप्ति की शर्त-3 देखिये)

स्टाक रजिस्टर

व्यापारिक वस्तु का नाम :

1. तिथि
2. प्रारम्भिक शेष
3. प्राप्तियां
4. प्राप्तियों का स्रोत
5. योग (स्तम्भ 2+3)
6. परिदान/विक्रय
7. गंतव्य स्थान
8. अन्तिम शेष
9. अभियुक्तियां

आदेश द्वारा,
एस0 एम0 कंवर,
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुदित तथा प्रकाशित।